न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1— कलुवा (फौत) वारिस मनका , चम्पा तनय कलुवा चमार,

2— धर्मा , (फौत) वारिस बरजोरा , लक्षमन , भागीरथ तनय धर्मा चमार

3— वल्दुआ, 4— हरदास तनय जनकिया , जाति चमार ,

5— भूरा फौत वासरिस— प्रकाश तनय भूरा चमार ,

निबासी ग्राम हीरापुर तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

वनाम .....आवेदकगण

म0 प्र0 शासन ..... अनावेदक

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह स्वमेव निगरानी ग्राम हीरापुर , तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 919/1 जु0 1.619 हेक्टर बर्तमान नंबर 919/1जु/1 में आवेदकगण का नाम ग्राम हीरापुर की नामांतरण पंजी कमांक 26, पारित आदेश दिनांक 18/08/2008 के पालन में कंप्यूटर रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वावद।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक गण के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि दिनांक 11/09/1995 को जरिये वैनामा के बराती तनय गोरेलाल जैन से क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त बैनामा के आधार पर ग्राम हीरापुर की नामांतरण पंजी कमांक 27 पर पारित आदेश दिनांक 18/08/2008 के द्वारा केताओं/आवेदकगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का आदेश भी पारित कर दिया था। किन्तु खसरा में पंजी के आधार पर आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जिसे दर्ज करने वावद आवेदकगण द्वारा तहसीलदार एवं पटवारी से कई बार कहा गया तथा आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किये किन्तु आवेदकगण/केताओं के नाम पंजी के आधार पर दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। जबकि आवेदकगण द्वारा भूमि क्रय करने के उपरांत नामांतरण वावद वैनामा प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर उपरोक्त

XXXIX(a)-BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- 869/II/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश कलुवा व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-16	(1) 1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी, ग्राम हीरापुर, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 919/1 जु0 1.619 हेक्टर बर्तमान नंबर 919/1जु/1 पर आवेदकगण का नाम, ग्राम हीरापुर की नामांतरण पंजी कमांक 27, पर पारित आदेश दिनांक 18/08/2008 के पालन में कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज करने वावद प्रस्तुत की है। 2— यह कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, संलग्न अभिलेख का अवलोकन किय गया, जिसके अनुसार आवेदकगण के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि दिनांक 11/09/1995 को जरिये वैनामा के बराती जैन से क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसके आधार पर ग्राम हीरापुर की नामांतरण पंजी कमांक 27 पर नायव तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/08/2008 के द्वारा आवेदकगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का आदेश भी पारित कर दिया था। किन्तु खसरा में पंजी के आधार पर आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ उपरोक्त वादग्रस्त नामांतरण पंजी कमांक 27 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया है। जिसके अनुसार खसरा में भी नामांतरण होना चाहिये था, जो नही किया जा रहा है। जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18/08/2008 को टीप लगाई है, कि रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र देखा, इश्तहार जारी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। बिक्रेता बराती तनय गोरेलाल ने रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र कमांक 319 दिनांक 11/09/1995 को खसरा नंबर 919/1जु0/1 रकवा 1.619 हेक्टर भूमि क्रेता कलुवा , भूरा , धर्मा , बन्दुवा , हरदास को बिक्रय	

का कब्जा हो चुका है। उक्त क्रेताओं में से भूरा फौत, पटवारी द्वारा दर्ज मृतक वारिसान सिजरा प्रमाणित। अतः अभिलेख में बिक्रेताओं के स्थान पर क्रेताओं के नाम दर्ज करें। उसके नीचे दिनांक 18/08/2008 को नायब तहसीलदार की सील के उपर हस्ताक्षर हैं।

3— आवेदक के अनुसार उपरोक्त नामांतरण पंजी पर नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण तो स्वीकृत किया है, किन्तु खसरा कंप्यूटर में सुधार नहीं किया है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वादग्रस्त नामांतरण पंजी के आधार पर खसरा , कंप्यूटर में रिकॉर्ड की दुरूस्ती नहीं हुई है, तो उसे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से पंद्रह दिबस के अंदर की जाबे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य